

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

अत्यावश्यक/

ई-मेल

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ।
नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना ।
परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना ।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना ।
अपर सचिव, गृह विभाग, (आरक्षी शाखा एवं गृह कारा), बिहार, पटना ।
सभी संबंधित अपर निदेशक (मुख्यालय में पदस्थापित) ।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार ।
सभी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा0 एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार ।
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर ।
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/दंत चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार ।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार ।
निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना/न्यू गार्डिनर
रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला,
कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्स्ट्रेशन सेन्टर, राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/रक्त अधिकोष, पटना चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/रिक्त अधिकोष, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना ।
संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/लेडि एल्लिन जनाना अस्पताल, गया/एम0जे0के0
अस्पताल, बेतिया ।
सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 24/3/25

विषय: बिहार स्वास्थ्य सेवा/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सक को उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु आवेदन करने के समय ही विभागीय अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा/दंत चिकित्सा सेवा सम्वर्ग के चिकित्सक/दंत चिकित्सक को उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है ।

02. इस संबंध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि चिकित्सक/दंत चिकित्सक उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु आवेदन करने के समय विभागीय अनुमति/अनापत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, जबकि चयनोपरान्त काउंसलिंग एवं आवंटित सस्थान मे नामांकन/योगदान देने हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है । इस संबंध में स्पष्ट निदेशित है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा/दंत चिकित्सा सेवा सम्वर्ग के चिकित्सक/दंत चिकित्सक उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु आवेदन करने के समय सीमा के एक माह के अन्दर आवेदन

करने हेतु विभागीय अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेगे । तत्पश्चात ही उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु चिकित्सक/दंत चिकित्सक को नामांकन/काउंसलिंग अथवा चयनित सस्थान में योगदान करने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाएगी ।

03 इसके अतिरिक्त, विभागीय पत्रांक 116(3) दिनांक 06.03.2018 के माध्यम से विभिन्न सस्थानों की परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने संबंधी एनओसी के लिए जॉच पत्र परिचारित है, परन्तु उक्त जॉच पत्र में कतिपय सूचनाएँ (यथा पीजी, एसआर/जेआर, बंध पत्र) अंकित नहीं रहने के कारण चिकित्सक से संबंधित वांछित सूचनाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं । अतएव बिहार स्वास्थ्य सेवा/दंत चिकित्सक सेवा सम्बर्ग के चिकित्सक/दंत चिकित्सक को उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने हेतु नया जॉच पत्र तैयार किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है । चिकित्सक/दंत चिकित्सक उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु विहित जॉच पत्र (जो इस पत्र के साथ संलग्न है) एवं जॉच पत्र के अनुरूप वांछित कागजात/अभिलेख संलग्न करते हुए विधिवत आवेदन विभाग को उपलब्ध कराएँगे अन्यथा आवेदन विचार योग्य नहीं होगा । इस प्रकार विभागीय पत्रांक 116(3) दिनांक 06.03.2018 से पूर्व से निर्गत एनओसी के लिए जॉच पत्र विलोपित समझा जाए ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमीर)

बिहार स्वास्थ्य सेवा/दंत चिकित्सक सेवा सम्बर्ग के चिकित्सक/दंत चिकित्सक को उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/विभिन्न प्रायोजन हेतु अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने संबंधी जाँच पत्र

1. आवेदक का नाम/पदनाम/पदस्थल —
2. जन्म तिथि :—
3. मोबाईल सं० :—
4. पत्राचार का स्थाई पता :—
5. सर्ग (बिहार स्वास्थ्य सेवा/दंत चिकित्सक सेवा संवर्ग) :—
6. वरीयता क्रमांक (2025 के औपबधिक वरीयता के अनुसार) —
7. (क) प्रथम नियुक्ति अधिसूचना सं० एवं दिनांक —
(ख) सेवा में प्रथम योगदान की तिथि (प्रथम प्रभार प्रतिवेदन संलग्न करें):—
8. कुल सेवावधि —
(क) वर्तमान पदस्थापना का नाम—
(ख) योगदान की तिथि —
9. चिकित्सक पी०जी० उत्तीर्ण है अथवा नहीं —
यदि उत्तीर्ण हो तो पी०जी० उत्तीर्णता वर्ष, संस्थान का नाम, सत्र एवं विषय अंकित करें :—
10. चिकित्सक जुनियर रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट का प्रशिक्षण प्राप्त है अथवा नहीं .—
यदि हाँ तो संस्थान का नाम सत्र एवं विषय अंकित करें —
11. चिकित्सक किसी बंध पत्र से अच्छादित हैं अथवा नहीं (यदि हाँ तो स्पष्ट सूचना अंकित करें) —
12. (क) परीक्षा/साक्षात्कार जिसमें सम्मिलित होना है, संस्थान का नाम सहित विस्तृत विवरणी :—
(ख) परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि (संगत पत्र के साथ):—
13. आलोच्य मामले में आवेदन करते समय विभागीय अनुमति प्राप्त किया गया है अथवा नहीं:—
(यदि हाँ तो विभागीय आदेश की प्रति संलग्न करें):—
14. आवेदन उचित माध्यम से अनुशंसित एवं अग्रसारित है ?

चिकित्सक का हस्ताक्षर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर

159/3
24/3/25
Nk